राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 16)

[24 जुलाई, 2019]

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 1 का संशोधन ।

2008 का 34

2. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ख) में, अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ग) में, "व्यक्तियों को" शब्दों के पश्चात् "और" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा ;

(iii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) ऐसे व्यक्तियों को, जो भारत के बाहर भारतीय नागरिकों के विरुद्ध या भारत के हितों को प्रभावित करने वाला कोई अनुसूचित अपराध करते हैं ;" ।

धारा 2 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ज) में, "गठित विशेष न्यायालय" शब्दों के स्थान पर, "विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित सेशन न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 3 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में, "भारत में" शब्दों के पश्चात् "और किसी अंतरराष्ट्रीय संधि या संबंधित राष्ट्र की देशीय विधि के अधीन रहते हुए भारत के बाहर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 6 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(8) जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि भारत के बाहर किसी ऐसे स्थान पर जहां इस अधिनियम का विस्तार है, कोई अनुसूचित अपराध किया गया है, तो वह अभिकरण को इस प्रकार मामला रजिस्टर करने और अन्वेषण प्रारंभ करने के लिए निदेश दे सकेगी, मानो ऐसा अपराध भारत में किया गया हो ।

(9) उपधारा (8) के प्रयोजनों के लिए नई दिल्ली में स्थित विशेष न्यायालय की अधिकारिता होगी ।"।

धारा 11 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में, "विशेष न्यायालयों का गठन करने" शब्दों के स्थान पर, "सेशन न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करने" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

'(क) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए या ऐसे मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से एक या अधिक सेशन न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करेगी ;';

(ख) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "उच्च न्यायालय" पद से उस राज्य का, जिसमें विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित किया जाने वाला, कोई सेशन न्यायालय कार्य कर रहा है, उच्च न्यायालय अभिप्रेत है ।';

(iii) उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6) और उपधारा (7) का लोप किया जाएगा' ;

(iv) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(8) शंकाओं को दूर करने के लिए यह उपबंध किया जाता है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट सेशन न्यायालय के सेशन न्यायाधीश द्वारा उस सेवा में, जिससे वह संबंधित है, उसे लागू होने वाले नियमों के अधीन अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेना उसके विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बने रहने को प्रभावित नहीं करेगा और केंद्रीय सरकार के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकारी आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि वह किसी विनिर्दिष्ट तारीख तक या उसके समक्ष मामले या मामलों का, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, विचारण पूरा होने तक न्यायाधीश बना रहेगा ।";

(v) उपधारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(9) जब किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय अभिहित किए जाते हैं तो उनमें कारबार का वितरण ज्येष्ठतम् न्यायाधीश करेगा ।"।

धारा 22 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 22 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में, "विशेष न्यायालयों का गठन करने" शब्दों के स्थान पर, "सेशन न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करने" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) में, "एक या अधिक विशेष न्यायालयों का गठन" शब्दों के स्थान पर, "एक या अधिक सेशन न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) में "गठित" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "अभिहित" शब्द रखा जाएगा ।

अनुसूची का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की अनुसूची में,—

(i) क्रम सं0 1 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"1. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6) ;

1क. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33);";

(ii) क्रम सं0 3 में, "1982 (1982 का 65)" अंकों, कोष्ठकों और शब्द के स्थान पर, "2016 (2016 का 30)" अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) क्रम सं0 8 में, "प्रविष्टि (ख)" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(ख) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 16 की धारा 370 और धारा 370क ;

(ग) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 489क से धारा 489ङ, (जिसमें ये दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) ;

(घ) आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) के अध्याय 5 की धारा 25 की उपधारा (1कक) ;

(ङ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के अध्याय 11 की धारा 66च ।"।

राष्ट्रपति ने दि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2019 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।

The above translation in Hindi of the National Investigation Agency (Amendment) Act, 2019 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (*a*) of sub-section *(1)* of section *5* of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार ।
Secretary to the Government of India.